प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

बैठक : माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण।

दाण्डिक अपील क्रमांक 89/2003

देवेन्द्र कुमार

- बनाम -

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एल. झंवर

मैं सहमत हूँ।

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायमूर्ति

8 मार्च, 2010 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचिबध्द करे।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्ति।

दाण्डिक अपील क्रमांक 89 वर्ष 2003

अपीलार्थी(जेल में): देवेन्द्र कुमार पिता जीवनलाल विश्कर्मा, जाति लोहार उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम- डूमरडीह थाना छुरिया, जिला. राजनांदगांव.

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना छुरिया,जिला राजनांदगांव (दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री के.के. सिंह, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री राकेश कुमार झा, राज्य/प्रतिवादी के लिए उप शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(8 मार्च, 2010)

न्यायमूर्ति टी.पी.शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. इस अपील में सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 172/2001 में दिनांक 3-1-2003 के निर्णय में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को मालती बाई की हत्या की कोटि में आने वाला मानववध कारित करने के लिए दोषी ठहराने के पश्चात, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिध्द किया और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य के बिना ही, अपीलार्थी को दोषी ठहराया है और उपरोक्त अनुसार दण्डित किया है और इस प्रकार से अवैधता की है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 28-9-2001 की दुर्घटना वाले दिन प्रातः लगभग 10 बजे डूमरडीह गाँव में तालाब के पास, अपीलार्थी ने मृतका मालती बाई पर चाकू से हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुँचाईं। मालती ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। घायल मालती के पति, मदन लाल साहू (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) उसे घर में ले गए और पुलिस थाने जाकर प्रदर्श पी.-1 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। मालती को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए शासकीय अस्पताल, छुरिया भेजा गया और डॉ.एस.के.आहूजा (अभियोजन साक्षी क्रमांक-14) के द्वारा उसका परीक्षण किया गया जिसमें प्रदर्श पी.-26 के अनुसार निम्नलिखित चोटें पाई गईः -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) पसलियों के नीचे पेट के दाहिने तरफ 5 सेमी x 1.5 सेमी x 1.5 सेमी का कटा हुआ घाव, चोट से खून निकल रहा था।

(2) पहली चोट के पास 5 सेमी x 1.5 सेमी x 1.5 सेमी का कटा हुआ घाव।

(3) बायीं कोहनी के जोड़ पर 3 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

(4) बाएं पेप्टिक क्षेत्र (पेट) पर 3 सेमी x 1 सेमी x 0.75 सेमी का कटा हुआ घाव।

(5) सिर के पीछे 3 सेमी x 1 सेमी x 0.75 सेमी का कटा हुआ घाव।

(6) नाक के दाहिनी ओर 4 सेमी x 1 सेमी का खरोंच।

(7) बायें गाल पर 4 सेमी x 2 सेमी का खरोंच।

(8) बायीं आंख के नीचे 2 सेमी x 1 सेमी खरोंच।

4. मालती की हालत गंभीर थी, नब्ज पता करना सम्भव नहीं था, रक्तचाप रिकॉर्ड नहीं हो रहा था और वह बात करने की स्थिति में नहीं थी। उसे जिला अस्पताल, राजनांदगांव रेफर किया गया। मालती का इलाज जिला अस्पताल, राजनांदगांव में हुआ। उसका बेड हेड टिकट प्रदर्श पी.-21 था। अंततः उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर रेफर किया गया। दिनांक 29-9-2001 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर में, पुलिस के अनुरोध पर, उसका मृत्युकालिक कथन एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक-8), अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रदर्श पी-11 के अनुसार दर्ज किया गया। मृतका ने मृत्युकालिक कथन में कहा कि पिछले विवाद के कारण, जब वह तालाब से आ रही थी, तो अपीलार्थी ने उस पर चाकू से हमला किया जिससे वह गिर गई। इलाज के दौरान, मालती की दिनांक 3-12-2001 को मृत्यु हो गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर द्वारा प्र.पी-24 के माध्यम से पुलिस थाना मौदहापारा को मृत्यु की सूचना दी गई, जिसने प्र.पी-22 के माध्यम से मर्ग सूचना दर्ज की और प्र.पी-22 के आधार पर, छुरिया पुलिस ने प्र.पी-23 के तहत मर्ग दर्ज किया। प्र.पी-2 के तहत साक्षियो को उपस्थित होने की सूचना देने के बाद, प्र.पी-3 के तहत मालती के शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। शव को शव परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर भेजा गया और डॉ. संजय कुमार दादू (अभियोजन साक्षी क्रमांक-13) द्वारा शव परीक्षण प्र.पी-25 किया गया, जिन्होंने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटों के निशान पाये:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) पेट पर मौजूद पुराने ठीक हो चुके सर्जिकल सिले हुए घाव के ओपरेशन का निशान।

(2) पेट पर मौजूद पुराने ठीक हो चुके सर्जिकल सिले हुए घाव के निशान।

(3) पेट पर मौजूद पुराने ठीक हो चुके सर्जिकल सिले हुए घाव का निशान।

(4) बाएं अग्रबाहु के मध्य रेखा में अग्र भाग पर पुराने ठीक हुए रैखिक घाव का निशान मौजूद है।

(5) सिर के पीछे दाईं ओर पश्चकपाल क्षेत्र पर पुराने ठीक हुए रैखिक घाव का निशान मौजूद है।

(6) घुटने और टखने के जोड़ के अग्र पार्श्व पहलू पर एकाधिक फ्रैक्चर मवाद निर्वहन साइनस मौजूद है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) दाहिनी जांघ के आगे वाले भाग पर हल्का सूजन।

मौत का कारण घोषने वाले घाव और उसकी जटिलताएँ है। विवेचना के दौरान, मृतक के खून से सने कपड़े प्रदर्श पी-4 के अनुसार जब्त किए गए थे। नजरी नक्शा प्रदर्श पी-5 और प्रदर्श पी-6 के अनुसार तैयार किए गए थे। अपीलार्थी को दिनांक 29-9-2001 को हिरासत में लिया गया था, उसने प्रदर्श पी-8 के अनुसार चाकू जैसे एक हथियार का प्रकटीकरण कथन दिया और उसे अपीलार्थी की निशानदेही पर प्रदर्श पी-9 के अनुसार उसके खून से सने कपड़ों के साथ बरामद किया गया। प्रदर्श पी-10 के अनुसार घटनास्थल से खून से सनी और सादी मिट्टी, चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े और खून से सना ब्लाउज जब्त किया गया। वस्तुओं को डॉक्टर के पास परीक्षण के लिए भेजा गया। प्रदर्श पी-17 के अनुसार आरोपी से चाकू भी बरामद किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी-18 के अनुसार रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। मृतका की कोशिकाओ को

भी शव परीक्षण के बाद प्रदर्श पी 31 के अनुसार जब्त किया गया तथा उसे प्रदर्श पी 19 के अनुसार परीक्षण के लिए भेजा गया।

5. साक्षियो के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव के समक्ष अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले का उर्पापण सत्र न्यायालय, राजनांदगांव को कर दिया, जहां विचारण किया गया।

6. अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा सत्रह गवाहों का परीक्षण कराया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का परीक्षण कराया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध दर्शित परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठे फँसाने जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उस पर उपर्रोक्त वर्णित अनुसार दण्ड अधिरोपित किया ।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि दोषसिद्धि मृतका के मृत्युकालिक कथन पर आधारित है, जो विरोधाभासों एवं लोप से परिपूर्ण है। मृत्युकालिक कथन प्र.पी.-11 संदिग्ध है। अतिरिक्त तहसीलदार, एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक -8), जिन्होंने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया है, यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि उन्होंने यह कथन कहाँ और कब दर्ज किया। चिकित्सक ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि मृतका प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी। मौखिक एवं लिखित मृत्युकालिक कथन दुर्बलता से ग्रस्त हैं और अपीलार्थी को दोषसिद्धि के आधार के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अपराध दिनांक 28-9-2001 को हुआ था और मृतका की मृत्यु घटना के दो महीने से अधिक समय बाद दिनांक 3-12-

2001 को हुई, वह भी सेप्टीसीमिया एवं बेड सोर के कारण, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु उसे लगी चोटों के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप नहीं हुई है। अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि भी विधि के अंतर्गत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **मोहर सिंह एवं अन्य इत्यादि बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1981 एससी 1578)** के मामले का हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि घटना का विस्तृत विवरण देने वाला मृत्युकालिक कथन, हालांकि गंभीर हालत में दिया गया हो, जो मृतक की पत्नी या वहां मौजूद डॉक्टर द्वारा सत्यापित भी ना किया गया हो, मनगढ़ंत लगता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **राम कुमार पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1975 एससी 1026)** के मामले का हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट हालांकि एक पूर्व कथन है, जिसका सख्ती से इस्तेमाल केवल इसे बनाने वाले की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मामले की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की चूक, अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता का निर्णय करने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि मामला मृतका के मौखिक और लिखित मृत्युकालिक कथनों पर आधारित है जो विश्वास को प्रेरित करते हैं, विश्वसनीय हैं और भरोसा करने के लिए पर्याप्त हैं।

11. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की है।

12. वर्तमान मामले में, मृतका की मृत्यु, मृत्यु-पूर्व घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई मानववध के बारे में अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त रूप से कोई विवाद नहीं किया गया है, अन्यथा भी यह बात डॉ.एस.के. आहूजा (अभियोजन साक्षी क्रमांक-14), ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक

स्वास्थ्य केंद्र, छुरिया; उनकी चिकित्सा रिपोर्ट प्र.पी-26; डॉ. संजय कुमार दादू (अभियोजन साक्षी क्रमांक-13) के साक्ष्य; और उनकी शव-परीक्षा रिपोर्ट प्र.पी-25 के साक्ष्य से भी सिद्ध होती है, जिससे पता चलता है कि मृतका के पेट और सिर पर पाँच चोटें पाई गईं थीं और आंतरिक रक्त स्राव हुआ था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। डॉ. संजय कुमार दादू (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 13) ने भी स्वीकार किया है कि घाव संक्रमित थे और सेप्टीसीमिया भी मौजूद था।

13. जहां तक संबंधित अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता का सवाल है, दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पार्वती बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) के साक्ष्य, मौखिक मृत्युकालिक कथन और लिखित मृत्युकालिक कथन प्रदर्शपी-11 के साक्ष्य पर आधारित है। पार्वती बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी ने मृतका मालती पर चाकू से दो बार हमला किया, वह (यह साक्षी) कमरे के अंदर गई और कुछ देर बाद चिल्लाई कि अपीलार्थी ने मालती पर हमला किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 3 में आगे कहा है कि घायल मालती (जो अब मृत हो चुकी है) बात करने की स्थिति में नहीं थी और जब उसने मालती को पानी दिया तब केवल उसका सिर हिल रहा था। उसने कण्डिका 9 में यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने मालती की हत्या की है, लेकिन यह तथ्य प्रदर्श डी-1 में नहीं मिलता है, जो उसका भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया पिछला कथन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मृतका के पुत्र विजय कुमार (अभियोजन साक्षी क्रमांक-3) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि उसने पार्वती बाई के मुंह से सुना कि देवेन्द्र ने उसकी मां पर हमला किया है, तब वह अपनी मां मालती के पास गया, वह तड़प रही थी और उसने अपनी मां के पेट, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट देखी।

15. मौखिक मृत्युकालिक कथन के संबंध में, मृतका के पति मदन (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मालती रास्ते में खून से लथपथ पड़ी थी। उसने मालती से पूछताछ की,

तो उसने बताया कि देवेंद्र ने उस पर हमला किया है और वह बेहोश हो गई है। उसने घायल के शरीर पर चोट के निशान देखे। विस्तृत प्रति परीक्षण में, उसने स्वीकार किया है कि उसने रास्ते में तीन व्यक्तियों के मिलने का उल्लेख नहीं किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस को यह नहीं बताया कि मालती ने घटना के बारे में बताया है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि से बिष्ट साहू की पत्नी यानी पार्वती बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) से घटना के बारे में जानकारी हुई। इस साक्षी से विस्तृत प्रति परीक्षण से पता चलता है कि उसकी पत्नी मालती ने उसे मृत्यु पूर्व कथन नहीं दिया है और उसे घटना के बारे में पार्वती बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) से जानकारी हुई है।

16. अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य के एक अन्य संग्रह यानी लिखित मृत्युकालिक कथन की जांच की है। एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक-8) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने मालती का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-11 के अनुसार दर्ज किया है जिसमें मालती बाई ने मृत्युकालिक कथन दिया है कि अपीलार्थी ने लक्ष्मी बाई के घर के सामने उन पर चाकू से हमला किया था। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से विस्तार से प्रति परीक्षण किया है और प्रति परीक्षण के कण्डिका 3 में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कथन दर्ज करने की जगह और समय का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने उस वार्ड का उल्लेख नहीं किया है जिसमें मालती भर्ती थी और उसके उन्होंने मेमो नंबर का भी उल्लेख नहीं किया है। लेकिन अपने विस्तृत प्रति परीक्षण में उन्होंने कहा है कि उन्होंने मालती का कथन दर्ज किया है, मालती होश में थी और वह सवालों के जवाब देने में सक्षम थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. कथित लिखित मृत्युकालिक कथन, प्र.पी-11, से मालती के कथन दर्ज करने का स्थान शासकीय अस्पताल और दिनांक 29-9-2001 का पता चलता है। मृत्युकालिक कथन के पिछले भाग में यह दर्ज है कि छुरिया पुलिस ने मृत्युकालिक कथन के लिए अनुरोध किया है।

18. डॉ. एम.के. दिवाकर (अभियोजन साक्षी क्रमांक -10), जिन्होंने मालती बाई का परीक्षण किया है, ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 5 में यह कथन दिया है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने तक वह अर्धचेतन अवस्था में थीं और सामान्य रूप से बात करने की स्थिति में नहीं थीं। उन्होंने कण्डिका 1 में यह कथन दिया है कि मालती अर्धचेतन अवस्था में बात कर रही थीं।

19. यद्यपि अभियोजन पक्ष ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज मालती के कथन को साबित नहीं किया है, लेकिन प्रधान आरक्षक चैन सिंह उइके (अभियोजन साक्षी क्रमांक-12) ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 2 में स्पष्ट रूप से यह कथन दिया है कि उसने दिनांक 2-10-2001 को मालती का कथन दर्ज किया था। अपने प्रति परीक्षण के कण्डिका 6 में, उसने यह कथन दिया है कि उसने अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में मालती का कथन दर्ज किया था और उसने कण्डिका 5 में दिए गए इस सुझाव का खंडन किया है कि उसने मालती का कथन दर्ज नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. प्रधान आरक्षक चैन सिंह उइके (अभियोजन साक्षी क्रमांक -12) के साक्ष्य और डॉ. एम.के. दिवाकर (अभियोजन साक्षी क्रमांक -10) के साक्ष्य से पता चलता है कि घायल मालती पूरी तरह से होश में नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से बेहोश भी नहीं थी, वह जिला अस्पताल, राजनांदगांव से छुट्टी मिलने तक अर्धचेतन अवस्था मे थी।

21. एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक -8), अतिरिक्त तहसीलदार, ने दिनांक 29-9-2001 को प्र.पी.-11 के अनुसार मालती का कथन दर्ज किया। प्र.पी.-11 से पता चलता है कि घायल ने संक्षिप्त कथन दिया है, घायल की हालत गंभीर थी, वह विस्तृत कथन देने की स्थिति में नहीं थी और उसका कथन इस साक्षी द्वारा संक्षेप में दर्ज किया गया है। एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक -8) के साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने मालती से पूछताछ की थी और उसका कथन दर्ज किया गया है और वह प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में थी। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहर**

(पुर्वोक्त) के मामले में माना है, इस साक्षी ने विस्तृत कथन दर्ज नहीं किया है। इसलिए, **मोहर (पुर्वोक्त)** का मामला तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले से अलग है।

22. एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक-8) के साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने केवल इस बिंदु पर संक्षिप्त मृत्युकालिक कथन दर्ज किया है कि पूर्व रंजिश के आधार पर अपीलार्थी ने मृतका पर हमला किया था। लिखित मृत्युकालिक कथन विश्वास को प्रेरित कर रहा है, यह विश्वसनीय है और इस पर भरोसा करना सुरक्षित है। एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक-8) के साक्ष्य को पार्वती बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2), जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, के साक्ष्य से भी समर्थन मिलता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने कथन में भी पार्वती बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) ने कहा है कि अभियुक्त ने घायल मालती पर हमला किया था। प्रत्यक्षदर्शी का साक्ष्य पार्वती बाई (अभियोजन साक्षी क्रमांक-2) और एच.सी. नाग (अभियोजन साक्षी क्रमांक-8) के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने मृतका के पेट और सिर पर चोटें पहुंचाईं है, जब वह अकेली थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जहाँ तक हेतुक का प्रश्न है, रामप्रसाद (अभियोजन साक्षी क्रमांक-6) के साक्ष्य से पता चलता है कि घटना से पहले, विवाद के आधार पर अपीलार्थी को पंचायत द्वारा दंडित किया गया था और वह मृतका से रंजिश रखता था। इसी रंजिश के आधार पर, जब मालती अकेली थी, उसने उसके पेट और सिर पर घातक और बार-बार चोटें पहुँचाईं और इन चोटों और उनकी जटिलताओं के परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु हो गई। इससे मृतका की मृत्यु कारित करने के अपीलार्थी के गंभीर आशय का पता चलता है।

24. सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया है और उसे आजीवन

कारावास से दंडित किया गया है। साक्ष्यों की गहन जाँच करने पर, हमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखाई देती है।

25. अपील में कोई सार नहीं है, यह खारिज करने योग्य है तथा तदानुसार खारिज किया जाता है।

सही/-	सही/-
टी.पी. शर्मा	आर.एल. झंवर
न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by – Vidhi Mehta